



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 04.04.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ ऑपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप अलग-अलग 02 मामलों में 02 अभियुक्तों को कारावास व 23 हजार रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित।

विवरण- पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विकशन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में अलग-अलग 02 मामलों में 02 अभियुक्तों को कारावास व 23 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

अभियोग-

1. थाना नरैनी पर पंजीकृत अभियोग- 05/92 धारा 409/467/468/471 भादवि के अभियुक्त वेद प्रकाश पुत्र लक्ष्मी प्रसाद निवासी गंगापुरवा थाना नरैनी जनपद बांदा को **06 वर्ष के कारावास तथा 18000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।
2. थाना मटौन्ध पर पंजीकृत अभियोग- 80/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त लवकुश यादव उर्फ अन्नु पुत्र राममिलन यादव निवासी खुरहण्ड थाना गिरवां जनपद बांदा को **10 माह 15 दिन के कारावास व 5000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।